(1)

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्र./13616/NREGS-MP/स्था./NR-2/09 भोपाल, दिनांक3/10/2009

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला/जिला पंचायत– ..... (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. के लिये जिला स्तर से संविदा उपयंत्रियों के चयन विषयक।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत में अकुशल मानव श्रम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार मूलक कार्य कराये जा रहे है। रोजगार की अत्यधिक मांग के कारण पर्याप्त संख्या में रोजगार मूलक कार्य प्रारंभ किये गये है। श्रमिकों को निर्धारित समयावधि में मजदूरी उपलब्ध कराने के लिये कार्यो का सतत् मूल्यांकन एवं निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। इस हेतु परिषद ने प्रत्येक 10 ग्राम पंचायत में 1 उपयंत्री की पदस्थापना का प्रावधान किया है।

परिषद मुख्यालय द्वारा सतत् प्रयास के उपरांत भी उपयंत्रियों की आवश्यक संख्या के मान से उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाई है। जिलों द्वारा अवगत कराया गया है कि उपयंत्रियों की कमी के कारण कार्यो के प्राक्कलन एवं मूल्यांकन के कार्य प्रभावित हो रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम की धारा 30 के अनुसार श्रमिकों को निर्धारित समयावधि में मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करना है।

उपरोक्त के दृष्टिगत निर्णय लिया जाता है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम–म.प्र. के अंतर्गत जिले में उपयंत्रियों के रिक्त पदों की पूर्ति के अधिकार प्रत्यायोजित किये जावें। यह अधिकार निम्न शर्तो के अधीन प्रत्यायोजित किये जाते है :–

1. यदि जिले में प्रत्येक 10 ग्राम पंचायत के मान से एनआरईजीएस–म.प्र. का उपयंत्री उपलब्ध नहीं है अथवा उपयंत्री को कम से कम 100 रोजगार मूलक कार्यो के प्राक्कलन/मूल्यांकन का कार्यभार है तो नवीन उपयंत्री के चयन की कार्यवाही की जावें।

2. उपयंत्रियों का चयन संविदा आधार पर किया जावेगा। म.प्र.राज्य रोजगार गांरटी परिषद की संविदा शर्तो का पालन अनिवार्य होगा। सेवानिवृत्त उम्मीदवार के चयन हेतु अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। संविदा की शर्ते संलग्न है।

3. आरक्षण :– पूर्व में परिषद मुख्यालय स्तर से उपयंत्रियों के चयन एवं नियुक्तियों की प्रक्रिया अपनाए जाने के कारण राज्य स्तर का आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया था। प्रदेश में उपयंत्रियों के रिक्त पदों को परिषद मुख्यालय स्तर से आरक्षण अनुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक जिले को विभिन्न वर्गो के उपयंत्रियों के चयन की संख्या दर्शाई गई है।

   अतः संलग्न सूची अनुसार जिले के द्वारा वर्गवार उपयंत्रियों के चयन एवं नियुक्तियां की जावेंगी।

   चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के 100 प्रतिशत के बराबर प्रतीक्षा सूची भी बनाई जावेगी। चयनित एवं प्रतीक्षा सूची जिला पंचायत के सूचनापटल पर प्रदर्शित की जावेगी।

4. म.प्र.राज्य रोजगार गांरटी परिषद द्वारा उपयंत्री के लिये स्वीकृत संविदा पारिश्रमिक, मंहगाई भत्ता/यात्रा भत्ता एवं अन्य परिलब्धियां के आधार पर ही संविदा पारिश्रमिक का भुगतान किया जावेगा।

5. इस प्रकार किये गये समत्त भुगतान जिले के प्रशासनिक मद के विरूद्व विकलनीय हेागा।

6. चयन हेतु परिषद मुख्यालय द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के मापदण्ड यथास्थिति पालन अनिवार्य होगा।शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव निम्नानुसार है :–

   "सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा। निर्माण कार्य में अनुभवी को प्राथमिकता एवं आरक्षित वर्ग हेतु अनुभव में शिथिलता दी जावेगी। "

7. **चयन की प्रक्रिया :–**

7.1 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिले के रोस्टर के आधार पर समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेंगे।

7.2 अभ्यर्थियों का चयन अंक सूची, अनुभव तथा साक्षात्कार के आधार पर किया जावेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के 60 अंक, अनुभव के 30 अंक तथा साक्षात्कार के 10 अंक सहित कुल 100 अंक होगें।

7.3 साक्षात्कार हेतु 1 पद के विरूद्व 3 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जावें। कुल विज्ञापित पद से अधिक अभ्यर्थी होने की दशा में ही साक्षात्कार आयोजित किया जावें।

7.4 साक्षात्कार समिति नें 5 सदस्य होंगे।

समिति :–

अध्यक्ष – जिला कार्यक्रम समन्वयक

सदस्य –अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक

सदस्य– कार्यपालन यंत्री, ग्रा.या.से. या परियोजना अधिकारी (तकनीकी, एनआरईजीएस)

सदस्य – कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग

सदस्य – कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग

यदि जिला कार्यक्रम समन्वयक किसी कारणवश साक्षात्कार समिति में उपस्थित नहीं होते है तो उनके प्रतिनिधि,जो संयुक्त कलेक्टर से अन्यून स्तर के नहीं होना चाहिये, को समिति मे शामिल किया जावेगा। ऐसी परिस्थिति में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा समिति की अध्यक्षता की जावेगी।

7.5 साक्षात्कार कुल 10 अंको का होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा 10–10 अंकों मे से अंक दिये जावेगें। साक्षात्कार उपरांत दिये गये अंको के औसत की गणना की जावेगी, जो की अभ्यर्थी के साक्षात्कार के अंतिम अंक माने जावेगें।

8. शैक्षणिक योग्यता (सिविल इंजीनियरिंग मे डिग्री/डिप्लोमा) हेतु अंको का वितरण :–

45 प्रतिशत से कम अंक हेतु – 15 अंक

45% या अधिक परन्तु 50% से कम अंक हेतु :–25 अंक

50% या अधिक परन्तु 55% से कम अंक हेतु :–35 अंक

55% या अधिक परन्तु 60% से कम अंक हेतु :–45 अंक

60% या अधिक अंक हेतु :– 55 अंक

सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होने पर अतिरिक्त अंक – 5 अंक।

9. अनुभव हेतु अंको का वितरण :–

क्र	वर्ग	0–1 वर्ष का अनुभव	1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक परन्तु 2 वर्ष से कम अनुभव	2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक परन्तु 3 दर्ष से कम अनुभव	3 वर्ष या अधिक अनुभव
1	अनारक्षित	0 अंक	10 अंक	20 अंक	30 अंक
2	आरक्षित वर्ग	10 अंक	20 अंक	25 अंक	30 अंक

10. मासिक संविदा पारिश्रमिक :–

संविदा उपयंत्रियों को वेतनमान रू. 5,000–8,000 एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृति महगाई भत्ता के योग के बराबर राशि के रूप में मासिक संविदा पारिश्रमिक देय होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही आगामी माह नवम्बर–09 से प्रारम्भ कर दी जावे तथा अंतिम परिणाम 30.12.2009 तक प्रकाशित कर दिये जावे।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल (म.प्र.)

एनआरईजीएस अंतर्गत उपयंत्री

क्र.	जिले का नाम	जनपद पंचायत की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या	अनारक्षित	अन्य पिछडा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
			प्रथम चरण					
1	ब्रड़वानी	7	417	10	3	-	15	28
2	बैतूल	10	558	9	-	-	15	24
3	छतरपुर	8	558	5	2	-	-	7
4	धार	13	762	10	2	-	20	32
5	डिण्डोरी	7	364	3	1	-	10	14
6	झाबुआ	12	664	5	2	-	20	27
7	खण्डवा	7	423	3	-	-	7	10
8	खरगौन	9	600	6	1	-	13	20
9	मण्डला	9	493	3	-	-	5	8
10	सतना	8	703	10	5	5	15	35
11	सिवनी	8	645	5	5	-	15	25
12	शहडोल	5	392	5	2	-	10	17
13	श्योपुर	3	226	2	-	-	10	12
14	सीधी	8	717	5	5	-	20	30
15	टीकमगढ़	6	459	5	2	-	10	17
16	उमरिया	3	234	2	-	-	5	7
	योग	**123**	**8215**	**88**	**30**	**5**	**190**	**313**
			द्वितीय चरण					
17	गुना	5	425	10	1	-	-	11
18	अशोकनगर	4	332	4	1	-	-	5
19	दतिया	3	281	5	4	-	-	9
20	देवास	6	497	10	3	-	5	18
21	बुरहानपुर	2	167	5	-	-	5	10
22	राजगढ़	6	627	10	5	7	-	22
23	हरदा	3	211	5	-	-	-	5
24	दमोह	7	461	10	-	-	-	10
25	पन्ना	5	395	10	-	-	-	10
26	कटनी	6	409	5	-	-	-	5
27	छिंदवाड़ा	11	808	10	-	5	15	30
28	रीवा	9	827	10	-	5	20	35
29	अनूपपुर	4	282	5	-	-	10	15
	योग	**71**	**5722**	**99**	**14**	**17**	**55**	**185**
			तृतीय चरण					
30	रतलाम	6	419	15	4	3		22
31	मन्दसौर	5	441	12	4	1		17
32	सागर	11	760	12	4	3		19
33	नरसिंहपुर	6	457	10	4	1		15
	योग	**28**	**2077**	**49**	**16**	**8**	**0**	**73**
	महायोग	**222**	**16014**	**236**	**60**	**30**	**245**	**571**

संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेगी :–

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर संविदा नियुक्ति के संबंध में जारी आदेश/ संशोधन नियुक्ति पर भी लागू/बंधनकारी होंगे।

2. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को मूलवेतन के साथ महंगाई भत्ता जोड़कर संविदा पारिश्रमिक देय ह सेवानिवृत्त अधिकारी (अधिकतम आयु 65 वर्ष तक) को संविदा पर नियुक्ति की दशा में संविदा के रूप में उसे प्राप्त अंतिम वेतन के बराबर देय राशि में से प्राप्त हो रही पेंशन की राशि को कम भुगतान की जावेगी।

3. संविदा के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति केवल विशिष्ट स्थान के लिए होगी। संविदा में नि व्यक्ति का संविदा अवधि में अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम–1965 और उसमें किये गये अ संशोधनों द्वारा शासित होगा।

5. संविदा की कालावधि नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष के लिए रहेगी।

6. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी को शैक्ष योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र संबंधी मूल अभिलेख ए फोटो प्रस्तुत करना होगें।

7. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा सक्षम अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार नियुक्ति प्राधिकारी के साथ रुपये 50/– का नॉन ज्यूडिशियल स्ट पर करार निष्पादित करेगा (करार के निष्पादन पर होने वाले समस्त व्यय चयनित उम्मीदवार वहन किये जायेगें)। इस नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के साथ ही साथ चयनित उम्मीदवार उसकी 03 माह के वेतन की धनराशि के समतुल्य राशि का बाण्ड भी भरकर कार्य पर उपस्थित के 7 दिन के भीतर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। इस बाण्ड के आधा उम्मीदवार को शासन को यह गारंटी देनी होगी कि यदि वह संविदा नियुक्ति काल पूरा होने व पद से त्यागपत्र देकर अन्यत्र कोई पद ग्रहण करता हैं, तो वह उक्त बाण्ड में उल्लेखित धन राशि देनदार होगा।

9. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेश आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष कि दशा में नियुक्त अधि द्वारा की गई नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये रद्द कर दी जायेगी।

10. दो (2) वर्ष की संविदा अवधि पूर्ण होने के उपरांत कार्य कुशलता एवं किये गये कार्य के मूल्यांक आधार पर यदि आवश्यक हुआ तो आगामी वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति बढ़ाने पर विचार किय सकेगा।

11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा 15 के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी।

12. संविदा नियुक्ति आदेश दिनांक से 10 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा अनिवार्य अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।

13. संविदा पर नियुक्त अधिकारी को आधारभूत एवं जॉब से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नही होने पर संविदा सेवा समाप्त की जावेगी।

14. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के कदाचार या किसी आपराधिक कियाकलाप में संलिप्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा।

15. संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को समय–समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी सम्पादित करने होंगे।

16. कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/ कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार करने पर प्रतिबंध रहेगा।

17. संविदा पर नियुक्त अभ्यार्थी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना /जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नही देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नही करेगा।

18. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को यात्रा भत्ते की सुविधा शासन के नियमानुसार देय होगी।

19. दो वर्ष सफलतापूर्वक सेवा पूर्ण करने के बाद संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं नियोजक/नियोक्ता के एक माह के पूर्व नोटिस के आधार पर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा/भुगतान कर समाप्त हो सकेंगी।

20. चयनित उम्मीदवार, उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जावेगा, यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता हैं, तो बिना कारण बताऐं नियुक्ति रद्द कर दी जावेंगी।

21. संविदा नियुक्ति के आधार पर नियुक्त कोई भी उम्मीदवार संविदा कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा तथा न ही उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि की पात्रता होगी ।

22. संविदा पर नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।

23. किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

187